दिनांक 12.01.2013 को निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अध्यक्षता में प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु केन्द्र निदेशकों के साथ राज्य स्तर पर आयोजित बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति – संलग्न सूची के अनुसार

कार्यवाही–

बैठक प्रारंभ करते हुये निदेशक द्वारा सभी उपस्थित प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के निदेशकों का स्वागत करते हुये बताया कि इस प्रकार की बैठक आयोजित की जा रही है ताकि इन केन्द्रों के संचालन में एकरूपता लाया जा सके एवं संचालन में आ रही कठिनाईयों को दूर किया जा सके।

2– **पाठ्यक्रम** : सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि समानान्तर रूप से बिहार लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग के लिये एक ग्रुप (I) तथा बैंकिंग एवं रेलवे की परीक्षा के लिये दूसरा ग्रुप (II) संचालित किया जायेगा। प्रथम ग्रुप माह जनवरी से मई तक (5 माह के लिये) तथा दूसरा ग्रुप जुलाई से नवंबर तक (5 माह के लिये) संचालित किया जायेगा।

3– **वर्ग संचालन** : प्रत्येक कार्य दिवस को वर्ग प्रातः 9 बजे से 1 बजे अप० तक चार क्लास एवं 1.30 बजे अप० से 5.30 बजे अप० तक चार क्लास संचालित किया जायेगा। प्रत्येक क्लास की अवधि एक घंटे की होगी।

4– **सीट की संख्याः** सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रति वर्ग कम से कम 40 एवं अधिकतम 60 छात्र/छात्रा का हो सकता है।

5– **छात्र/छात्राओं की चयन की पद्धति** : सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र पटना के निदेशक को संयोजक बनाया जाये जो सभी केन्द्रों के लिये छात्र–छात्राओं के चयन की कार्रवाई केन्द्रित रूप से करेंगे। सभी केन्द्र सीट की संख्या पाठ्यक्रमवार संयोजक को उपलब्ध करायेंगे। पटना केन्द्र द्वारा ग्रुप–I के लिये जनवरी माह से पूर्व चयन की कार्रवाई पूर्ण कर ली जायेगी तथा ग्रुप– II के लिये चयन की कार्रवाई जुलाई माह से पूर्व कर ली जायेगी।

6– **शिक्षकों का चयन** : इस संबंध में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि केन्द्र निदेशक के स्तर पर एक त्रिसदस्यी समिति का गठन प्रत्येक केन्द्र के लिये किया जायेगा जिसमें Dean of faculties (विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान) में से किसी एक तथा जिला कल्याण पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित प्राधिकारी होंगे। इस समिति का दायित्व होगा कि सम्बंधित पाठ्यक्रम के लिये योग्य शिक्षकों का चयन किया जाना होगा। चयनित शिक्षक विश्वविद्यालय के भी हो सकते हैं अथवा खुले बाजार से भी लिया जा सकता है। परंतु उनमें प्रतिवर्ग सरकार द्वारा निर्धारित 300.00 (तीन सौ रुपये) मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा।

7– **छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति** : प्रति छात्र–छात्रा प्रतिमाह छात्रवृत्ति भुगतान कर बैठक में यह अभिमत हुआ कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से ही छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाये।

निदेशक द्वारा इसपर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर संसूचित करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्येक माह 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर किया जायेगा।

8– **पाठ्य सामग्री :** सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पटना केन्द्र द्वारा पाठ्य सामग्री सभी केन्द्रों के लिये केन्द्रित रूप से विकसित किया जायेगा एवं सभी केन्द्र को उपलब्ध कराया जायेगा। अन्य केन्द्र के केन्द्र निदेशक द्वारा समय–समय पर इन पाठ्य सामग्री को सुधार लेने हेतु अपना सुझाव दे सकेंगे।

9– **मासिक परीक्षा :** सभी केन्द्र प्रत्येक 15 दिन में छात्र–छात्राओं का क्लास टेस्ट लेंगे। इन परीक्षाओं के लिये प्रश्न पत्र पटना केन्द्र द्वारा तैयार किया जायेगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन सम्बंधित केन्द्र द्वारा किया जायेगा। परंतु, फलाफल से पटना केन्द्र को छात्रवार सूचना उपलब्ध कराया जायेगा।

10– **वेबसाईट का निर्माण :** बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक केन्द्र अपना वेबसाईट NIC के माध्यम से तैयार करेंगे एवं केन्द्र से संबंधित सूचना वेबसाईट पर अपलोड करेंगे।

11– **अन्यान्य :** सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि एक छात्र अधिकतम दो बार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में छात्र–छात्रा से यह शपथ–पत्र लिया जायेगा कि वे अन्य किसी केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हैं।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
निदेशक

ज्ञापांकः 1/प्रशि० (प्रा०परी०अनु०जा०)–20–01/2012–257 पटना, दिनांक– 7-2-13

प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी, पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, भोजपुर, एवं सारण/उपविकास आयुक्त, पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, भोजपुर, एवं सारण/जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, भोजपुर, एवं सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 1/प्रशि० (प्रा०परी०अनु०जा०)–20–01/2012–257 पटना, दिनांक– 7-2-13

प्रतिलिपिः कुलसचिव, एल०एन०मिश्र वि०वि०, दरभंगा/तिलकामांझी वि०वि०, भागलपुर/पटना वि०वि०, पटना/मगध वि०वि०, बोधगया/वीर कुंवर सिंह वि०वि०, भोजपुर, आरा/जयप्रकाश वि०वि०, छपरा/बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर वि०वि०, मुजफ्फरपुर/निदेशक, **प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र,** पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, भोजपुर, एवं सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

Anil.doc